न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 42/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/88

प्रार्थी:–

मोहनलाल पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी जेतपुर तहसील रोहट जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत गढवाडा जरिये सरपंच
2. मृतक मिसरिया पुत्र हंसाराम जाति मेघवाल निवासी जेतपुर तहसील रोहट जिला पाली के कायम मुकाम 2/1 रतनाराम पुत्र स्व. मिसरिया जाति मेघवाल निवासी जेतपुर तहसील रोहट जिला पाली
   2/2 अर्जुन पुत्र स्व. मिसरिया जाति मेघवाल निवासी जेतपुर तहसील रोहट जिला पाली
   2/3 मांगीलाल पुत्र स्व. मिसरिया जाति मेघवाल निवासी जेतपुर तहसील रोहट जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश पटेल।

–: निर्णय :–

दिनांक : 22/05/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत गढवाडा द्वारा प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 11.12.1962 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 60 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया, इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने खसरा संख्या 494 रकबा 32.03 किस्म गै.मु.खड्डा की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया। उक्त भूमि पर प्रार्थी का बाडा बना हुआ है, जिस पर उनका कब्जा पिछले 50–60 वर्षों से चला आ रहा है। उक्त भूमि न तो अप्रार्थी के कब्जे में थी और न ही ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में थी ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये अप्रार्थी को नियम 266 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इसलिये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत गढवाडा द्वारा प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 11.12.1962 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 60 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका 57 वर्ष के विलम्ब के बाद प्रस्तुत की गयी, उनके द्वारा उक्त विलम्ब के भी कोई स्पष्ट कारण प्रलिक्षित नहीं किये है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2005(2) RRT 1225 Gordhan & Ors. vs. State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953–धारा 27ए–ग्राम पंचायत ने 125 भूखण्ड नलामी द्वारा बेचे–बाजार दाम से कम मूल्य पर भूखण्ड बेचने की शिकायत पर कलेक्टर ने विक्रय निरस्त किया–उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर का आदेश अपास्त किया गया–उच्च न्यायालय के निर्णय के 7 वर्ष बाद पंचायत विस्तार अधिकारी ने विभिन्न निगरानियां पेश की–जांच रिपोर्ट के अलावा अन्य साक्ष्य नहीं–पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा शक्तियों के उपयोग में 6–7 वर्ष का असाधारण विलम्ब–जांच रिपोर्ट प्रार्थीगण के ध्यान में नहीं लाई गई और उसमें उल्लेखित आरोपों का जवाब देने का अवसर नहीं दिया–22 वर्ष पूर्व भूखण्ड क्रय किये और अब निलामी क्रेताओं को बेदखल करना न्यायसंगत नहीं होगा–आदेश अपास्त किया। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय का अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2008(2) DNJ (Raj.) 735 Abdul Latif & Anr. vs State & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 270–राजस्थान पंचायत नियम, 1996–नियम 166–पुनरीक्षण–का विस्तार–प्रार्थी ने कलेक्टर के समक्ष यह अभिकथित करते हुए पुनरीक्षण दायर किया कि ग्राम पंचायत ने विधि के प्रावधानों के विपरीत पट्टे जारी किये–पुनरीक्षण 21 वर्षों की देरी से दायर किया गया–प्रार्थी को अपील का त्वरित उपचार उपलब्ध था लेकिन उसने पुनरीक्षण याचिका को पोषणीय करने में हितबद्ध व्यक्ति है–पट्टे वर्ष 1981 में जारी किये गये तथा प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2002 में दायर की वह भी देरी का समुचित कारण बताये बिना–अप्रार्थी संख्या 6 ने वर्ष 1998 में विवादित भूमि पर निर्माण कराना शुरू किया तथा इस बारे में अन्य लोगों ने दीवानी वाद भी दायर किया–निर्णित, जिला कलेक्टर ने प्रार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करके सही किया। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 57 वर्ष बाद देरीना के बिना कोई ठोस व स्पष्ट कारण बताये हुये प्रस्तुत की, जो प्रथमदृष्टया म्याद के आधार पर खारिज योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य कथन यह था कि जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 494 किस्म गै.मु.खड्डा की भूमि पर जारी किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी में अंकित तथ्य तथा दौराने बहस किये गये कथनों को साबित करने का दायित्व स्वयं अधिवक्ता प्रार्थी का होता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने द्वारा उठाये गये उज्रों के समर्थन में ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये, जिससे यह साबित हो सके कि जैर निगरानी पट्टा गै.मु.खड्डा की भूमि पर जारी किया गया हो। इसके विपरीत जैर निगरानी पट्टे पर यह स्पष्ट अंकित है कि उक्त पट्टा ग्राम जेतपुर में नई आबादी भूमि में जारी किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गया है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। उपरोक्त स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन साबित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने ग्राम पचांयत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को खारिज किये जाने के संबंध में उठाये गये बिन्दु प्रक्रियात्मक एवं नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने की कमियों के संबंध में है, जैसे तीन पंचों को नियुक्त नहीं करना, निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाना, नक्शे में पड़ोस का अंकन नहीं होना, आउटवर्ड नम्बर अंकित नहीं होना, भूमि निरीक्षण प्रपत्र में कमियाँ आदि। चुंकि उक्त निगरानी प्रार्थी द्वारा प्रक्रियात्मक कमियाँ तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की गई है, ऐसे में हस्तगत निगरानी में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में पंचायत राज नियम, 1996 के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 खारिज किया जाता है। साथ ही विकास अधिकारी पंचायत समिति, रोहट को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता कि वे दो माह में जाँच करे कि यदि प्रकरण में नियमों–प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर से उल्लंघन होना पाया जावे या सम्पूर्ण कार्यवाही में गंभीर अनियमितता पायी जावे जिससे सम्पूर्ण पट्टा जारी करने की प्रकिया दूषित (Vitiate) हुई हो तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। ग्राम पंचायत के स्तर पर रही साधारण लिपिकीय या प्रक्रियात्मक कमियों के कारण लगभग 57 वर्ष पूर्व जारी पट्टे को बिना विस्तृत जांच किए निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने व अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली